उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं रसद अनुभाग-2
संख्या-07/2018/1401/29-2017-एम-09/2013
लखनऊः दिनांक: 03 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रहमान अली, तत्कालीन विपणन निरीक्षक सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जनपद देवरिया के केन्द्र बनकटा पर तैनाती अवधि में धान क्रय के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के मामले में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-6724/आ0वि0शा0-184/2006, दिनांक 11-12-2006 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आसन्न करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक, फैजाबाद संभाग, फैजाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री रहमान अली, विपणन निरीक्षक के विरूद्ध सेवाकाल में संस्थित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31-10-2009 के पश्चात शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-69/1116/29-2-13-एम-9/13, दिनांक 10-10-2013 द्वारा सी0एस0आर0-351 ए के अंतर्गत नियमित रूप से प्रचलित रखने के आदेश प्रदान किये गये।

2- श्री रहमान अली, सेवानिवृत्त विपणन निरीक्षक के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं उस पर प्राप्त उनका अभ्यावेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री अली पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये तथा प्रकरण में कोई शासकीय क्षति भी अन्तर्निहित नही है। अतएव श्री रहमान अली, सेवानिवृत्त विपणन निरीक्षक के विरूद्ध सी0एस0आर0-351 ए के अंतर्गत प्रश्नगत प्रचलित विभागीय कार्यवाही को श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते है।

अभिषेक सिंह द्वितीय
विशेष सचिव।

<u>संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक-6240/आ0वि0शा0-184/2000टी0सी0, दिनांक 20-12-2017 के संदर्भ में 02 प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि कृपया एक प्रति श्री रहमान अली, सेवानिवृत्त विपणन निरीक्षक को तामील कराकर तामीली रसीद/प्राप्ति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- संभागीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर संभाग, गारेखपुर को उनके पत्रांक-1681/सं0खा0नि0/अधि0/रहमान अली/2017, दिनांक 113-12-17 के संदर्भ में।

[redacted]बंधित कोषाधिकारी को आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से।

[redacted] रहमान अली, सेवानिवृत्त विपणन निरीक्षक, भटनी(केवड़ा) जनपद देवरिया।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।